राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्र./कु.स./से.नि. संविदा/2024–25/141 दिनांक 26.09.2024

विश्वविद्यालय में कार्य आवश्यकता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रमंडल बैठक दिनांक 10.06.2024 में विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान में कार्य अनुभव के आधार पर कीटशास्त्र, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, अर्थशास्त्र, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, कृषि विस्तार एवं कृषि अभियांत्रिकी आदि विषयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं तकनीकी अधिकारियों को संविदा पर रखने हेतु दिशा–निर्देशों एवं शर्ते जारी की गई है।

निम्नानुसार जारी दिशा–निर्देश एवं शर्तो के तहत वांछित योग्यता रखने वाले रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय, आई.सी.ए.आर. तथा शासकीय संस्थान आदि से सेवानिवृत्त उम्मीदवारों से आवेदन उनके विस्तृत बायोडेटा वांछित दस्तावेज सहित आंमत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र **कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर–474002 (म.प्र.)** के कार्यालय में **दिनांक 05.10.2024** तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से प्रस्तुत किये जा सकेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। **विश्वविद्यालय प्रशासन विज्ञापन को निरस्त करने अथवा किसी भी आवेदन को स्वीकृत और अस्वीकृत करने, संविदा नियुक्ति करने या न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।** सेवानिवृत्त संविदा संबंधी जानकारी आदि रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. की ***web site :- www.rvskvv.net*** पर उपलब्ध है।

1. सेवानिवृत्त संविदा पर रखे जाने हेतु मापदण्ड–

शासन के पत्र क्र./सी–3–12/2011/3/एक दि. 03.09.2011के अनुसार ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को आवश्यकतानुसार कार्य पर रखने हेतु निम्न मापदण्ड अपनाये जायेगें।

- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का गोपनीय चरित्रावली 05 वर्ष का अभिलेख समग्र रूप से ''बहुत अच्छा'' श्रेणी या उससे उच्च कोटि का हो,
- पिछले 10 वर्षों के दौरान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कोई भी दण्ड न दिया गया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रपत्र में दिया जावेगा।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल में किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप न किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी रही हो।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो, जिसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा तैयार प्रपत्र में प्रमाणित किया जावेगा।

2. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की आयु

विश्वविद्यालय हेतु आयु के मापदण्ड निम्नानुसार हैं:

(अ) 62 वर्ष अधिवार्षिकी आयु वाले अधिकारी/कर्मचारी –

अधिवार्षिकी आयु से अधिकतम 05 वर्ष अर्थात् 67 वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति विभिन्न शर्तों के अधीन की जा सकेगी।

(ब) 65 वर्ष अधिवार्षिकी आयु वाले अधिकारी/कर्मचारी –

अधिवार्षिकी आयु से अधिकतम 05 वर्ष अर्थात् 70 वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति विभिन्न शर्तों के अधीन की जा सकेगी।

5. संविदा नियुक्ति हेतु मानदेय –

सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र.क्र. 5–1/2017/एक/3 भोपाल, दिनांक 06.10.2017 के नियम 12 (2) के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय वेतन संरचना में देय मूल वेतन तथा देय मंहगाई भत्ता में से देय पेंशन एंव उसमें देय मंहगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि संविदा मानदेय होगा।

जिन विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में छठवें वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, उन विश्वविद्यालय/संस्थाओं से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदाकर्मी नियुक्त होने पर सेवानिवृत्ति के समय सातवें समयमान के आधार पर देय अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (काल्पनिक) में अंकित मूल वेतन में से देय पेंशन प्रमाण पत्र में अंकित मूल पेंशन घटाने पश्चात भुगतान योग्य एकमुश्त राशि संविदा मानदेय होगा।

6. संविदा नियुक्ति हेतु सामान्य शर्तें–

संविदा नियुक्ति हेतु सामान्य शर्तें इस प्रकार निर्धारित की जाती है –

- यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा दोनो पक्षो द्वारा एक माह की सूचना अवधि पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए एक माह के नोटिस पर सेवा समाप्ति का अधिकार रखता है। अर्थात संविदा नियुक्ति के दौरान संविदाधारी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- कर्मचारी की संविदा नियुक्ति होने पर इस नियुक्ति का पूर्व में धारित पद और पूर्व में की गई सेवा से कोई संबंध नही रहेगा। पूर्व सेवा आधारित लाभ जैसे वेतनमान, समयमान, वेतनवृद्धि आदि देय नही होगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।
- संविदा नियुक्ति एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं दी जायेगी। कार्य संतोषजनक होने पर नियत्रंक अधिकारी की अनुशंसा उपरांत आगामी एक वर्ष हेतु नियुक्ति अवधि में वृद्धि माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से की जा सकेगी।
- सेवायें एवं प्रस्तुत दस्तावेज संतोषजनक न पाये जाने की दशा में नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपने मूल विभाग की पेंशन पृथक से प्राप्त करने तथा पेंशन पर देय राहत (यदि कोई है तो) की पात्रता भी होगी।

- संविदाकर्मी को केवल 13 आकस्मिक अवकाश (महिला कर्मी होने के दशा में 07 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश) एवं 03 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी अवकाश (चिकित्सकीय/अर्जित आदि) की पात्रता नही होगी।
- संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। इसके आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जा सकेगा।
- इस संविदा के अंतर्विष्ट किसी भी विवाद के होते हुए भी विश्वविद्यालय के लिये विधिपूर्ण होगा कि वह इस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सेवायें समाप्त कर दें।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
- यदि संविदा अवधि में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के साथ कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनुतोष/अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
- संविदाकर्मी किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
- संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/आधिपत्य की पात्रता नहीं होगी, न ही गृह भाड़ा भत्ता देय होगा।
- संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या आधिपत्य में होगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा तथा संविदा के दौरान आवास की पात्रता भी नहीं होगी।
- यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की संविदा अवधि बढ़ाने की आवश्यकता होने पर उनके पूर्व के संविदा नियुक्ति के कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन किया जायेगा जिसके लिए संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जायेंगे।
- उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी बिन्दु पर अस्पष्टता होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्र. सी–3–12/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 03.09.2011, क्र. 5–1/2017/एक/3 भोपाल, दिनांक 06.10.2017 तथा अन्य संबंधित पत्रों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा। विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- किसी भी प्रकार के वाद का कार्यक्षेत्र उच्च न्यायालय म.प्र. खंण्डपीठ ग्वालियर होगा।

कुलसचिव

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारुप

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदित पद .....

विज्ञापन क्रमांक/संदर्भः .....

1.	आवेदक का नाम पिता का नाम	
2.	जन्म तिथि पता मोबाईल ईमेल	
3.	सेवानिवृत्त होने का दिनांक तथा कुल सेवाकाल	
4.	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद संस्था का नाम अंतिम वेतनमान (PPO संलग्न करें)	
5.	सम्पूर्ण सेवा अवधि में धारित पद एवं संपादित किये कार्यों की प्रकृति	
6.	वर्तमान पेंशन के राशि (डी.ए. एवं कम्यूटेशन के अतिरिक्त)	
7.	पेंशन का वर्तमान वेतनमान	6वां / 7वां
8.	6वें वेतनमान के आधार पर पेंशन होने की दशा में 7वें वेतनमान अनुसार काल्पनिक पेंशन राशि	
10.	क्या निष्ठा के बारे मे सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कभी भी कोई संदेह या आक्षेप किया गया है?	
11.	क्या पिछले 10 वर्षो के दौरान कोई दण्ड दिया गया है?	
12.	विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित तो नहीं है? यदि हां तो विवरण दें।	
13.	क्या कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति से पूर्व विगत तीन वर्षो में मेडिकल अवकाश लिया है? यदि हां तो कितना?	

अंतिम पॉच वर्षो के कार्यकाल की गोपनीय चरित्रावली डोजियर, मूल विभाग प्राप्त किये जायेंगे।

हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

// घोषणा पत्र //

मैं ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी ..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी तथा विवरण पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित संविदा के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। आवेदन में दी गई समस्त जानकारी के लिए में स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति पश्चात जानकारी गलत पाई जाती है तो संविदा नियुक्ति रद्द की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

मैंने उपरोक्त दी गई सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है और मैं इनसे सहमत होकर इनका पालन करने का वचन देता/देती हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं पता